फार्म शुल्क रू0–1180.00

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार बाग नीलामी प्रपत्र।

1. नाम –.....
2. पिता का नाम –.....
3. स्थायी पता–.....
4. पत्र व्यवहार का पता–.....
5. दूरभाष सं0–.....
6. पते के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र–.....
7. जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त चरित्र प्रामाण पत्र सं0–.....दि0.....अवधि.....
8. वोटर आई0डी0/आधार कार्ड/डी0एल0 सं0–.....
9. नीलामी प्रारम्भ से पूर्व आवेदन शुल्क रू0–.....रसीद सं0–.....दि0–.....
10. न्यूनतम राशि रू0–225500.00
11. अधिकतम राशि रू–.....

कुलसचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय
हरिद्वार।

प्रारूप पत्र की शर्तें एवं अनुबन्ध पत्र

1. ठेकेदार का नाम –
2. स्थाई पता–
3. बाग बहार उसी ठेकेदार को निलाम किया जायेगा जिसके पास जिलाधिकारी /उप जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (ठेकेदारी) होगा।
4. दो वर्ष के लिए आग की बहार विक्रय की जानी है।
5. निविदादाता को रू0–20000.00 धरोहरराशि का बैंक ड्राफ्ट वित्त अधिकारी उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के नाम पर जमा करनी होगी।
6. सफल निविदादाता कि धरोहरराशि को विश्वविद्यालय कोष में समयोजित कर लिया जाएगा एवं अन्य निविदादाता कि धरोहरराशि उसी समय वापस कर दी जाएगी।
7. धरोहरराशि जमा करने पर ही निविदा वैध मानी जाएगी।
8. प्रत्येक निविदादाता के पास पैन न0 होना आवश्यक है।
9. निविदा स्वीकृति के बाद 10 प्रतिशत राशि ड्राफ्ट या नगद जमा करने होंगे।
10. आम में गुठली पड़ने के बाद 40 प्रतिशत राशि जमा करने होंगे।
11. मुख्य तोड़ से पहले 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी।
12. अगले वर्ष के लिए 10 प्रतिशत राशि पूरे आम तोडने पर जमा करने होंगे।
13. बिजली पानी की व्यवस्था पर जो खर्चा आयेगा वह खर्चा स्वयं अपने ओर से वहन करना होगा।
14. पेडों की सूखी टहनियां ठकेदार ले जा सकते है।
15. ठेकेदार के द्वारा अपना बैंक का खाता सं0 विश्वविद्यालय को देना होगा।
16. दूसरे वर्ष भी शर्तें पूर्व कि भांति रहेगी।
17. उपज के लिए समस्त (जैसे खाद, पानी, दवाई, कटाई, छटाई) आदि सभी खर्चे ठेकेदार को स्वयं वहन करने होंगे।
18. निविदा दि0–18.03.2020 को सायं 03:00 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में खोली जायेगी।
19. ठेकेदार को केवल आम की फसल का ही ठेका दिया जा रहा है इसके अलावा बगीचे से होने वाली कोई भी अन्य आय जैसे शहद, घास इत्यादि का हक ठेकेदार का नहीं होगा।
20. आम कि फसल की जवाबदारी का ठेका और किसी भी प्रकार फसल का नुकसान होता है तो उसकी जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय
हरिद्वार।

ठेकेदार का नाम एवं हस्ताक्षर :–